न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –91/2016 एवं 100/2016 जिला सीकर

दादू पीठाधीश्वर नारायना जरिये पीठाधीश्वर श्री गोपालदास जी स्वामी चेला महन्त हरीराम जी स्वामी दादूपंथी, निवासी नारायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. मनोहर उर्फ मनोहरदास पुत्र भागीरथ महला, जाति जाट, निवासी नारायना का बास, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
2. सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 13.10.2016

उपस्थित--
1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री हिमान्शु सोगानी

अपील संख्या 100/2016

मनोहरदास स्वामी चेला श्री रामानन्द स्वामी, जाति स्वामी, निवासी दादू आश्रम, ग्रम बीदासर, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।

अपीलार्थी

बनाम

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

1. गोपालदास स्वामी चेला महन्त हरिराम स्वामी, पीठाधीश्वर दादूपीठ नारायणा, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

रेस्पोंडेन्ट

2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।

प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 13.10.2016

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री हिमान्शु सोगानी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्याम बाबू पारीक

निर्णय

दिनांक– 11.7.2018

यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.10.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । दोनों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा

रहा है । निर्णय की दोनों पत्रावलियों में रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्राम बीदासर, तहसील लक्ष्मणगढ , जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 355 रकबा 8.78 हैक्टेयर का खातेदार किशनदास चेला धन्नादास कौम स्वामी था एवं खसरा नम्बर 184/2 रकबा 2.29 है. , 356 रकबा 0.50 है., 357 रकबा 0.03 है., 359 रकबा 0.52 है., 360 रकबा 0.20 है., 361 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 3.60 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार भगवानदास एवं किशनदास चेला धन्नादास कौम स्वामी सा. देह हि. बराबर थे । खातेदार किशनदास चेला धन्नादास स्वामी ने एक वसियत महावीर दास पुत्र गोविन्दाराम, जाति जाट, आयु 18 वर्ष, निवासी नारायण का बास, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के नाम दिनांक 27 सितम्बर 2012 को लिखकर उप पंजीयक षष्ठम जयपुर–6 से पंजीकृत करा दी थी । महावीरदास चेला किशनदास का देहान्त दिनांक 2.2.2015 को होने पर वसियत के आधार पर विरासत का नामांतरकरण दर्ज करवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र स्वामी दादू पीठाधीश्वर गोपालदास स्वामी चेला महन्त हरिराम स्वामी नारायण जयपुर द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर को दिनांक 18.5.2015 को प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.10.2016 द्वारा विधिक साक्ष्य के अभाव में मृतक महावीरदास स्वामी की विरासत बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के, किसी भी पक्षकार के नाम दर्ज कराया जाना विधिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होना मानते हुये प्रकरण खारिज किया है एवं उभयपक्ष सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है, अंकित किया है ।

तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 13.10.2016 के खिलाफ पृथक पृथक यह दोनों अपीलें अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत की है, जो क्रमशः अपील संख्या 91/2016 एवं 100/2016 पर दर्ज की गई है ।

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 91/2016 के अपीलान्ट एवं अपील संख्या 100/2016 के रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 गोपाल दास स्वामी के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि खातेदार महन्त किशनदास चेला धन्ना दास के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित है । दादू सम्प्रदाय की ग्राम बीदासर में भी गद्दी है जिस पर धन्नादास थे जिनके स्वर्गवास पर दादू सम्प्रदाय के नियमों के अन्तर्गत किशनदास मालिक हुये । उक्त गद्दी पर अविवाहित व्यक्ति (साधु) ही महन्त हो सकता है । खातेदार किशनदास ने अपनी मृत्यु से पूर्व दिनांक 28.9.12 को एक वसियत निष्पादित कर उप जीयक से पंजीबद्ध करवादी थी जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि महावीरदास मेरे नाम को कायम रखेगा व व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी न आने देगा एवं आगे यह भी अंकित किया कि महावीरदास निहंग रहेगा, आश्रम से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों का आदर करेगा । महावीदास अपने कर्तव्यों से न भटके ऐसी स्थिति में चार व्यक्तियों की एक कमेठी निगरानी हेतु नियुक्त की थी व सभी सम्पत्ति को दादू पीठाधीश्वर दादू पीठ नारायणा में निहित करने का उल्लेख कर दिया था । उनका कहना था महावीरदास अपने कत्व्यों में विफल हो गये व दादू सम्प्रदाय के नियमों के विपरीत जाकर अपनी जीवन लीला दिनांक 2.2.2015 को समाप्त करली अर्थात आत्म हत्या करली जो स्पष्ट रूप से कर्तव्यों से भटकना सिद्ध है । महावीरदास के कोई चेला नहीं था न उन्हेंाने कोई बनाया था ऐसी स्थिति में स्व. किशनदास द्वारा की गई पंजीकृत वसियत के आधार पर दादू पीठाधीश्वर नारायना जरिये पीठाधीश्वर श्री गोपालदास

स्वामी चेला महन्त हरीराम स्वामी दादूपंथी निवासी नारायना तहसील फुलेरा , जिला जयपुर द्वारा पंजीकृत वसियत के आधार पर नामांतरकरण खोलने हेतु तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत किया था । तहसीलदार के समक्ष मनोहर उर्फ मनोहरदास पुत्र भागीरथ महला, जाति जाट ने अपने आपको रामानन्द स्वामी का चेला कहते हुये आपत्ति प्रस्तुत की थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से प्रकरण निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि तहसीलदार ने वसियत को न पढकर उसे नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश से प्रकरण खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । वसियत रजिस्टर्ड है जिस पर अविश्वास करने का कोई औचित्य नहीं है । महावीरदास के स्वर्गवास के पश्चात् वसियत की व्यवस्थानुसार समस्त चल अचल सम्पत्ति किशनदास की वसियत के अनुसार दादू पीठाधीश्वर अपीलान्ट की हुई । उनका कहना था कि मृत व्यक्ति के नाम रिकार्ड नहीं रह सकता , नामांतरकरण होना आवश्यक था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर भी विचार नहीं किया । उनका कहना था कि एल.आर.एक्ट की धारा 133 व 135 के अन्तर्गत किशनदास की रजिस्टर्ड वसियत के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकारों का प्रयोग कर नामांतरकरण तस्दीक करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग करते हुये अपीलधीन निर्णय पारित करने में गम्भीर कानूनी भूल की है । अतः अपील संख्या 100/2016 खारिज की जावे व अपील संख्या 91/2016 स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ दिनांक 13.10.2016 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के नाम नामांतरकरण स्वीकृत किये जाने की आज्ञा पारित की जावे ।

अपील संख्या 100/2016 के अपीलान्ट एवं अपील संख्या 91/2016 के रेस्पोंडेन्ट के श्री मनोहर उर्फ मनोहरदास के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में रेस्पोंडेन्ट गोपालदास स्वामी ने तहसीलदार लक्ष्मणगढ को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.5.2016 को प्रस्तुत किया था कि विवादित भूमि किशनदास चेला धन्नादास के नाम राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज है। किशनदास ने अपने जीवनकाल में एक वसियत दिनांक 28.9.2012 को उप पंजीयक षष्टम जयपुर से पंजीकृत करवाकर अपना उत्तराधिकारी महावीर दास चेला किशनदास दादू पीठाधीश्वर आश्रम बीदासर को घोषित किया था । महावीर दास का देहान्त दिनांक 2.2.2015 को हो गया । इसलिये विवादित भूमि की विरासत वसियत के अनुसार स्वामी दादू पीठाधीश्वर गोपालदास स्वामी चेला महन्त हरिराम स्वामी नारायना के पक्ष में होना आवश्यक है । गोपालदास स्वामी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की ओर सभी संबंधत पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक मानते हुये आम सूचना जारी कर आमजन को 15 दिन में आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । मनोहरदास ने तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर गोपालदास स्वामी द्वारा वसियत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किये जाने तथा मनोहरदास के काउनटर आवेदन को स्वीकार कर स्व. महावीर दास की विरासत का नामांतरकरण मनोहरदास के पक्ष में भरे जाने हेतु निवेदन किया था । उनका कहना था कि दिनांक 28.9.2012 के वसियतनामें को सिविल न्यायालय लक्ष्मणगढ के समक्ष चुनौती दिये जाने से वाद न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण मृतक महावीर दास स्वामी की विरासत बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के किसी भी पक्षकार के नाम दर्ज किया जाना विधिक रूप से उचित नहीं मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने अपीलधीन आदेश से प्रकरण खारिज किया है । उनका कहना था कि वसियत के आधार पर महावीरदास चेला किशनदास के नाम दिनांक 20.2.2013 को नामांतरकरण संख्या 1276 तस्दीक होकर महावीर दास का नाम

राजस्व अभिलेख में अंकित हो गया था । महावीरदास का देहान्त दिनांक 2.2.2015 को बिना वसियत एवं बिना किसी को चेला बनाये हो गया इसलिये महावीर दास की विरासत का नामांतरकरण दादूपंथी समाज के नियमों के अनुरूप वैध उत्तराधिकारी के नाम तस्दीक किया जाना आवश्यक होने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने वसियत के संबंध में वाद व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन होने मात्र के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक करने से इन्कार किये जाने का पारित अपीलाधीन आदेश पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि मनोहर दास स्वामी ही मृतक महावीरदास का एकमात्र उत्तराधिकारी है , के संबंध में साक्ष्य व सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये थे , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मनोहरदास के नाम नामांतरकरण तस्दीक नहीं करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि वसियत में रामानन्द स्वामी को अपना शिष्य बनाये जाने तथा उनके पास रहने का उल्लेख है, परन्तु कुछ मतभेदों के चलते रामानन्द स्वामी ने अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया तो रामानन्द स्वामी को अपने शिष्यत्व से हटा दिया । रामानन्द स्वामी ने भी इसे स्वीकार कर सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित करवा दी थी जिसमें लिखा था कि रामानन्द स्वामी का किशनदास स्वामी से व उनकी सम्पत्ति से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, ना ही भविष्य में रहेगा । इस प्रकार रामानन्द स्वामी वसियतकर्ता का शिष्य नहीं रहा है । उपरोक्त इबारत वसियत में गलत रूप से अंकित की है जबकि रामानन्द स्वामी महन्त किशनदास के शिष्य थे, जो ना तो स्वयं शिष्यत्व से हटे ओर ना ही महन्त किशनदास ने उन्हें शिष्यत्व से हटाया , अन्यथा भी विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप जाईन्दा पुत्र , दत्तक पुत्र अथवा शिष्य को कभी हटाया या समाप्त नहीं किया जा सकता । रेस्पोंडेन्ट गोपालदास ने किशनदास की सम्पत्ति को हडपने के उद्देश्य से उक्त वसियतनामें में आधारहीन बात अंकित कराई और अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों की जॉच किये बिना विरासत का नामांतरकरण तस्दीक करने से इन्कार किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है । उनका यह भी कहना था कि वसियत केवल स्वअर्जित सम्पत्ति की ही की जा सकती है । दादूपंथी समाज में वंशानुगत प्राप्त सम्पत्ति के संबंध में किशनदास को वसियत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था ओर ना ही उक्त वसियत के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक हो सकता था । दादूपंथी समाज के नियमों के अनुरूप विरासत का नामांतरकरण मनोहरदास स्वामी के नाम तस्दीक किया जाना आवश्यक होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरकरण तस्दीक नहीं करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील संख्या 91/2016 खारिज की जावे तथा अपील संख्या 100/2016 स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलार लक्ष्मणगढ जिला सीकर दिनांक 13.10.2016 निरस्त किया जाकर स्व. महावीरदास की विरासत का नामांतरकरण अपीलार्थी मनोहर दास स्वामी के नाम तस्दीक किये जाने के आदेश पारित किया जावे ।

प्रति अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद खातेदार किशनदास चेला धन्नादास स्वामी द्वारा महावीर दास पुत्र गोविन्दाराम, जाति जाट, आयु 18 वर्ष, निवासी नारायण का बास, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के नाम दिनांक 27 सितम्बर 2012 को वसियत लिखकर उप पंजीयक षष्ठम जयपुर–6 से पंजीकृत करा दी थी । महावीरदास चेला किशनदास का देहान्त दिनांक 2.2.2015 को होने पर वसियत के आधार पर विरासत का नामांतरकरण दर्ज करवाने बाबत है । अपील संख्या 91/16 के अपीलान्ट गोपाल दास स्वामी वसियत के आधार पर नामांतरकरण तथा अपील संख्या 100/16 के अपीलान्ट मनोहरदास स्वामी विधि के सुस्थापित

सिद्धान्तों के अनुसार अपने नाम नामांतरकरण खुलवाना चाहते हैं । वसियत के अनुसार नामांतरकरण दर्ज कराने बाबत गोपाल दास स्वामी, स्वामी दादू पीठाधीश्वर गोपालदास स्वामी चेला महन्त हरिराम स्वामी नारायण जयपुर का प्रार्थना पत्र तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.10.2016 द्वारा विधिक साक्ष्य के अभाव में मृतक महावीरदास स्वामी की विरासत बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के, किसी भी पक्षकार के नाम दर्ज कराया जाना विधिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होना मानते हुये प्रकरण खारिज किया है एवं उभयपक्ष सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है, अंकित किया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि किशनदास द्वारा वसियत महावीर दास के पक्ष में लिखी थी ओर महावीरदास का देहान्त निर्वसियत हो चुका है एवं महावीर दास ने सम्पत्ति निस्तारण के संबंध मे कोई विधिक दस्तावेज भी निष्पादित नहीं किये हैं । अपील संख्या 91/2016 के अपीलान्ट गोपाल दास स्वामी , किशनदास द्वारा महावीर दास के पक्ष में लिखी गई वसियत के अनुसार महावीरदास की विरासत का नामांतरकरण अपने नाम कराना चाहते हैं । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि पक्षकारान में वसियत के संबंध में विवाद हो तो पक्षकारान को उत्तराधिकार सक्षम न्यायालय से तय करना चाहिये । विवादित वसियत का प्रश्न विधि एवं तथ्य का जटिल प्रश्न है, जो नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में तय नहीं किया हो सकता । दूसरी ओर अपील संख्या 100/2016 के अपीलान्ट मनोहरदास स्वामी , महावीर दास स्वामी की विरासत का नामांतरकरण प्राकृतिक विरासत के आधार पर अपने नाम तस्दीक कराना चाहते हैं , लेकिन रेकार्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे मृतक महावीर दास स्वामी का कोई विधिक वारिस होना सिद्ध होता हो । ऐसी स्थिति में बिना साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर किसी भी पक्षकार को मृतक महावीर दास स्वामी का विधिक रूप से प्राकृतिक वारिस माना जाना न्यायिक रूप से सम्भव नहीं है । चूंकि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एकमात्र प्रक्रिया है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता । उभयपक्ष मृतक महावीरदास स्वामी का उत्तराधिकार/वारिस सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर घोषित कराने हेतु स्वतंत्र है । मृतक खातेदार महावीर दास स्वामी की वसियत के आधार पर नामांतरकरण खोलने बाबत गोपालदास स्वामी का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2016 द्वारा विधिक साक्ष्य के अभाव में मृतक महावीरदास स्वामी की विरासत बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के, किसी भी पक्षकार के नाम दर्ज कराया जाना विधिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होना मानते हुये प्रकरण खारिज किया है एवं उभयपक्ष सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है, अंकित किया है , उचित एवं विधिसम्यक है तथा इसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता । अतः अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ दिनांक 13.10.2016 को यथावत रखते हुये दोनों अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ दिनांक 13.10.2016 यथावत रखा जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 11.7.2018 को सुनाया गया ।

चिमा।

(चिमा माना)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर